M.P. INDUSTRIAL DEVELOPMENT CORPORATION LTD.
21 OCT 2019
Inward No. 5122

मध्यप्रदेश शासन

औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग

:: आदेश ::

भोपाल, दिनांक 14 /10/2019

क्रमांक एफ 16-31/2019/ए-ग्यारह::राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया कि मेसर्स मेपेक्स फार्मा केयर प्रा.लि. द्वारा ग्राम-सिमरई, मंडीदीप, तहसील गोहरगंज, जिला-रायसेन में लगभग रू.175.00 करोड़ के पूंजी निवेश से फार्मास्यूटिकल्स एवं हेल्थ केयर प्रोडक्ट परियोजना स्थापना हेतु प्रस्ताव निम्नानुसार सुविधाऐं दी जावे:-

1. **निवेश प्रोत्साहन सहायता** - उद्योग संवर्धन नीति-2014 (यथा संशोधित 2018) में प्रावधानित निवेश प्रोत्साहन सहायता, परियोजना अन्तर्गत किये जाने वाले नवीन प्लांट एवं मशीनरी में किये गये निवेश (भवन, प्लांट एवं मशीनरी) पर 40% की समान दर से शर्तों के अध्याधीन।

2. **विद्युत शुल्क से छूट** - 07 वर्ष हेतु विद्युत शुल्क से छूट दी जावे।

3. **विद्युत टेरिफ में रियायत** - रू. 5 प्रति यूनिट की स्थिर दर से वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ करने की दिनांक से 5 वर्षों हेतु विद्युत उपलब्ध करायी जावे। संबंधित विद्युत वितरण कम्पनी देयक की शेष राशि (यदि कोई हो तो) एम.पी.आई.डी.सी. से प्राप्त कर सकेगी।

4. **कौशल विकास/ प्रशिक्षण सहायता:-** तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग द्वारा इकाई में रोजगार प्राप्त मध्यप्रदेश के मूल निवासियों को **National Skills Qualifications Framework (NSQF)** एलाइन्ड पाठयक्रमों में प्रशिक्षण की व्यवस्था की जावेगी।

5. **स्टांप ड्यूटी एवं पंजीयन शुल्क की प्रतिपूर्ति** - वित्तीय संस्थाओं / बैंक से लिये जाने वाले ऋण के लिखतों पर देय स्टाम्प शुल्क एवं पंजीयन शुल्क की प्रतिपूर्ति औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग द्वारा की जावे।

6. परियोजना को उद्योग संवर्धन नीति 2014 (यथा संशोधित 2018) अन्तर्गत प्रावधानित अन्य सुविधाओं का लाभ शर्तों के अध्याधीन प्राप्त होगा।

7. कम्पनी की परियोजना को स्वीकृत सुविधाओं का लाभ इस शर्त पर प्राप्त होगा कि इस परिप्रेक्ष्य में आदेश जारी होने के दिनांक से 3 वर्ष में वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ करना आवश्यक होगा।

8. कम्पनी की शेष अन्य मांगों को अमान्य किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(डॉ. राजेश राजौरा)
प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन
औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग

निरंतर ....

पृ.क्रमांक एफ 16-31/2019/ए-ग्यारह भोपाल, दिनांक 15/10/2019

प्रतिलिपि,

1. प्रमुख सचिव (समन्वय), मध्यप्रदेश शासन, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, भोपाल।
2. अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग/ऊर्जा विभाग/वाणिज्यिक कर विभाग/ तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
3. प्रबंध संचालक, एम.पी.आई.डी.सी. लि., भोपाल।
4. आयुक्त, भोपाल संभाग भोपाल ।
5. कलेक्टर, जिला रायसेन
6. अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता, मेसर्स मेपेक्स फार्मा केयर प्रा.लि. ई-7, एचईजी- 500 अरेरा कालोनी, भोपाल - 462016

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग